# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

## प्रेस नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 23.11.2026

**थाना जाफरगंज पुलिस द्वारा अपनी ही पुत्री की गला घोंटकर हत्या करने तथा घटना को दुर्घटना का रूप देकर शव को यमुना नदी में प्रवाहित कर साक्ष्य छिपाने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 19.11.2026 को थाना ललौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दरियाबाद शमशान घाट के पास यमुना नदी में एक महिला का शव उतराता हुआ प्राप्त हुआ था, जिसे थाना ललौली पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर शिनाख्त एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। जांच के क्रम में ग्राम बारा के बीट प्रभारी उ0नि0 अविनाश यादव से जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम बारा निवासी प्राची सिंह पुत्री जितेन्द्र सिंह की दिनांक 09/10.11.2026 की रात्रि में कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई थी तथा परिजनों द्वारा शव को यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। थाना ललौली से प्राप्त शव के फोटोग्राफ एवं पोस्टमार्टम पोटली में सुरक्षित कपड़ों व चादर को दिखाए जाने पर मृतका की माता सुधा देवी, पिता जितेन्द्र सिंह द्वारा शव की शिनाख्त प्राची सिंह के रूप में की गई।

मृतका के पिता जितेन्द्र सिंह द्वारा पूर्व में यह बताते हुए तहरीर प्रस्तुत की गई थी कि चारा डालते समय भैंस की टक्कर लगने से पुत्री कुएं में गिर गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परंतु थाना ललौली पुलिस द्वारा कराए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटने तथा सिर में आई चोट के संयुक्त प्रभाव से होना स्पष्ट हुआ। जांच में यह भी प्रकाश में आया कि घटना से पूर्व पैसे ट्रांसफर करने को लेकर पिता जितेन्द्र सिंह का अपनी पुत्री प्राची सिंह से विवाद हुआ था। प्रथम दृष्टया जांच से यह स्पष्ट होने पर कि पिता जितेन्द्र सिंह द्वारा अपनी पुत्री की हत्या कर पत्नी सुधा सिंह के साथ मिलकर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से बिना पुलिस को सूचना दिए शव को यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया गया, व0उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह की तहरीर पर दिनांक 22.11.2026 को थाना जाफरगंज पर मु0अ0सं0 204/2026 धारा 103(1), 238 बीएनएस बनाम जितेन्द्र सिंह व सुधा सिंह पंजीकृत किया गया।

**घटना का अनावरण व गिरफ्तारी का विवरण-** पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी जाफरगंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 23.11.2026 को थाना जाफरगंज पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जितेन्द्र सिंह पुत्र नारेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बारा, थाना जाफरगंज, जनपद फतेहपुर (उम्र करीब 40 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-** प्राप्त तथ्यों एवं अभियुक्त से की गई पूछताछ के दौरान प्रकाश में आया कि घटना से पूर्व मृतका प्राची सिंह द्वारा अपने पिता के खाते से ₹50,000/- अपनी माता के खाते में ट्रांसफर किए जाने को लेकर अभियुक्त जितेन्द्र सिंह का अपनी पुत्री से विवाद हुआ था। अभियुक्त शराब पीने का आदी है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 09/10.11.2026 की रात्रि में उसने अपनी पुत्री प्राची सिंह की गला कसकर हत्या कर दी तथा घटना को दुर्घटना का रूप देने के उद्देश्य से उसके शव को घर के सामने स्थित कुएं में डाल दिया। इसके पश्चात शोर मचाकर लोगों को एकत्र किया तथा भैंस की टक्कर लगने से कुएं में गिरने की बात बताकर घटना को दुर्घटना के रूप में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पुलिस को बिना सूचना दिए अगले दिन प्रातः मृतका के शव को यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

01. जितेन्द्र सिंह पुत्र नारेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम बारा, थाना जाफरगंज, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 40 वर्ष।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

01. प्र0नि0 प्रमोद कुमार शुक्ला, थाना जाफरगंज, जनपद फतेहपुर
02. उ0नि0 रक्षाराम
03. का0 राजेन्द्र प्रताप सिंह
04. रि0का0 राज यादव

**सोशल मीडिया सेल**
**जनपद फतेहपुर**